राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक :-- एफ 7 (366)परि/नियम/मु0/एच.एस.आर.पी./2017/31207 दिनांकः 19/12/2019

आदेश

राज्य के वाहनों पर लगाई जाने वाली हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स के लिए विभाग द्वारा दिनाँक 30.05.2017 को ई–बिड आमंत्रित कर दिनाँक 25.07.2017 को बिड खोली गयी। बिड मूल्यांकन समिति के द्वारा बिड के तकनीकी मूल्यांकन पश्चात् तकनीकी रुप से योग्य बिडर मैसर्स सैलेक्स टेक्नोलोजिज प्रा0 लि0 की वित्तीय बिड दिनाँक 22.08.2017 को खोली गई एवं सफल बोली स्वीकार कर दिनाँक 07.09.2017 को बोली स्वीकार की लिखित सूचना जारी कर दिनाँक 11.10.2017 को संविदा अनुबंध निष्पादित किया गया तथा दिनाँक 26.10.2017 को कार्यादेश जारी किया गया।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा SB Civil Writ Petition No 3182/2018 तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Petition for Special Leave to Appeal (c) No 15723/2018 एवं 20935/2018 में पारित निर्णय की अनुपालना में मैसर्स सैलेक्स टेक्नोलोजिज प्रा0 लि0 के पक्ष में जारी कार्यादेश दिनाँक 26.10.2017 को निरस्त कर दिनाँक 11.10.2017 को निष्पादित संविदा अनुबंध को स्वतः समाप्त होने के समसंख्यक आदेश 20998 दिनाँक 09.08.2019 जारी किए गए।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के SB Civil Writ Petition No 3182/2018 में पारित निर्णय दिनाँक 21.05.2018 की अनुपालना में पूर्व में तकनीकी रुप से अयोग्य बिडर मैसर्स रियल मैजॉन इण्डिया लि0 की वित्तीय निविदा दिनाँक 07.03.2019 को खोली गई।

राज्य में विद्यमान रजिस्ट्रीकृत वाहनों एवं बिड संविदा निष्पादन के पश्चात् निर्मित सभी रजिस्ट्रीकरण योग्य वाहनों के लिए अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट प्रदान करने के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए बिड आमंत्रित की गई थी। हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स लगाने की बिड प्रक्रिया के दौरान ही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या जीएसआर 1162 (E) दिनांक 04.12.2018 जारी कर तीसरे रजिस्ट्रेशन चिह्न सहित अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट का प्रदान मान विनिर्मिताओं द्वारा 1 अप्रेल, 2019 को या उसके पश्चात् निर्मित सभी यानों के साथ करने की अनिवार्यता का प्रावधान किया गया। 1.04.2019 को एवं उसके पश्चात् निर्मित वाहनों के लिए उक्त बिड के

Scanned by CamScanner

माध्यम से हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स नही लगवाई जा सकने के कारण प्लेट्स आपूर्ति एवं लगाने की मात्रा अत्यन्त कम रह गई। अधिसूचना संख्या SO6052(e) दिनाँक 06.12.2018 जारी कर Motor Vehciles (New HSRP) order 2001 को अतिक्रमित करते हुए Motor Vehciles (New HSRP) order 2018 प्रवृत्त किया गया। दिनाँक 01.04.2019 से प्रभावी की गई उक्त नयी अधिसूचना में पूर्व के आदेश की तुलना में वाहनों पर लगायी जाने वाली हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स तथा Third Registration Plate (स्टीकर) के पैरामीटर्स व विर्निर्दिष्टताओं में महत्त्वपूर्ण एवं सारभूत परिवर्तन हो गए। परन्तु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 14. मूल्यांकन की कसौटी –उप–धारा (1) (ख) के अन्तर्गत उपापन की विषयवस्तु की विशेषताएं (the characteristics of the subject matter of procurement) निर्धारित की गई हैं तो उपधारा (6) के अनुसार बोली के मूल्यांकन में उपापन संस्था द्वारा बोली दस्तावेजों में उल्लेखित से भिन्न किसी कसौटी (criteria) या प्रक्रिया का उपयोग नहीं किया जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त बिड संविदा निष्पादन से 5 वर्ष की अवधि तक के लिए बिड आमंत्रित की गई थी। बिड प्रक्रिया में 30 माह का समय व्यतीत हो चुका है; परिणामस्वरूप प्लेट्स की टेक्नोलोजी में बदलाव आना एवं बाजार में प्रतिस्पर्धा का बढना अवश्यमभावी है।

वित्तीय निविदा खोलने के निर्णय के कारण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के समक्ष दायर SB Civil Writ Petition No 14142/2017 एवं SB Civil Writ Petition No 3182/2018 के निर्णय के पश्चात् प्रक्रियात्मक समय लगने के कारण निविदा पर अंतिम निर्णय होने से पूर्व ही बोलियों की विधिमान्यता का दिनाँक 18.05.2019 को अवसान हो गया। परिणामस्वरूप बिड राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 48 (2) की सुसंगतता में नहीं रही एवं उपापन प्रक्रिया दूषित हो गई।

उक्त तथ्यों के मद्देनजर राज्य में वाहनों पर लगाई जाने वाली हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए दिनांक 30.05.2017 को आमंत्रित की गई बिड राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2013 के नियम 48(2) की सुसंगतता में नहीं रहने के कारण उपापन प्रक्रिया दूषित होने तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 14 के अन्तर्गत विषयवस्तु के पैरामीटर्स व विर्निर्दिष्टताओं में महत्त्वपूर्ण एवं

Scanned by CamScanner

सारभूत परिवर्तन तथा 1 अप्रैल, 2019 से पूर्व के पंजीकृत वाहनों के लिए ही विषयवस्तु की आपूर्ति का विषयक्षेत्र शेष रहने के कारण विषयवस्तु की आपूर्ति की मात्रा में अत्यंत कमी, बिड प्रक्रिया के 30 माह का समय व्यतीत होने के कारण बाजार में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि एवं प्लेट्स की टेक्नोलोजी में संभावित परिवर्तन के मद्देनजर बिड डाक्यूमेंट के नोट के बिन्दु संख्या 7 एवं 10 के प्रावधान तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 78 के अन्तर्गत राज्य में वाहनों पर लगाई जाने वाली हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए आमंत्रित बिड दिनाँक 30.05.2017 को एतदद्वारा निरस्त किया जाता है।

(राजेश यादव)
शासन सचिव
एवं आयुक्त, परिवहन

क्रमांक :– एफ 7 (366)परि/नियम/मु0/एच.एस.आर.पी./2017/31208–18 दिनांक: 19/12/2019

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह एवं परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त अधिकारी, मुख्यालय, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
8. मैसर्स सैलेक्स टेक्नोलोजिज प्रा0 लि0, हयूट स्ट्रीट बिल्डिंग, 86–ए, तोपासिया रोड़–कोलकाता, 700046, पश्चिमी बंगाल।
9. मैसर्स रियल मैजॉन इण्डिया लि0, ग्राम मौजा, ओगली, खसरा नम्बर 666/1, त्रिलोकपुर रोड़, तहसील–नाहन, काला अम्ब, जिला सिरमूर, हिमाचल प्रदेश–173030
   मैसर्स रियल मैजॉन इण्डिया लि0,15/17 रत्नम बिल्डिंग, बरवाड़ा हाउस, सिविल लाइन्स, जयपुर।
10. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट, विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त(कर)

Scanned by CamScanner